



अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक/आवेदिका श्री मनोहर सिंक्, पिता- स्व० बलराम सिंक्, निवासी ग्राम- जगन्नाथपुर, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत जाति 'हो' जाति है, के द्वारा खाता संख्या- 516, प्लॉट संख्या- 1068, रकवा- 5 (पाँच) डी० भूमि जो मौजा- जगन्नाथपुर, थाना संख्या- 712, परगाना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता अनिता सिंक्, पति- श्री मनोहर सिंक्, ग्राम- जगन्नाथपुर, थाना- जगन्नाथपुर, राजस्व थाना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) को छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम के बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा निर्गत है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 'हो' जाति के हैं। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा के ब्यान में आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता मनोहर सिंक् के नाम से दर्ज है, जो ना०मु०सं०- 10/2016-17 दिनांक 21.04.2016 के द्वारा खाता संख्या- 516, प्लॉट संख्या- 1068, रकवा- 24 (चौबीस) डी० भूमि विक्रेता के नाम पर है। दिनांक 03.07.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा विकास कुमार महापात्र द्वारा लिखित ब्यान दिया गया है कि खाता संख्या- 516, प्लॉट संख्या- 1068 रकवा- रकवा- 24 (चौबीस) डी० भूमि आवेदक को दखल एवं हिस्सा में मिला हुआ है एवं विक्री के बाद लगभग 5 (पाँच) एकड़ भूमि अन्य खाता में बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उनके द्वारा विक्री की अनुशंसा की गयी है।

अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा- 2.10 (दो एकड़ दस डिसमिल) एकड़ है एवं विक्री के पश्चात् आवेदक के पास पर्याप्त भूमि भरण-पोषण हेतु शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना जगन्नाथपुर के निवासी हैं तथा दोनों 'हो' जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आता हैं।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा- जगन्नाथपुर, थाना- जगन्नाथपुर, थाना संख्या- 712, खाता संख्या- 516, प्लॉट संख्या- 1068 एवं रकवा- 5 (पाँच) डी० भूमि क्रेता अनिता सिंक्, पति- श्री मनोहर सिंक्, ग्राम- जगन्नाथपुर, थाना- जगन्नाथपुर, राजस्व थाना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।